दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **उमी देवी बनाम भंवरी वगैरह** **दीवानी वाद संख्या 16/2014** **सीआईएस संख्या 69/15**	अनुपालना टिप्पणी
10-05-2024	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। पूर्व में बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इकरारनामा दिनांकित 23-06-2011 अपंजीकृत तथा विधिनुसार मुद्रांकित दस्तावेज नहीं है। इस सम्बंध में आपत्ति जवाबदावे के तहत पूर्व में सहवन से नहीं ली गई। अतः इस आशय का संशोधन की इकरारनामा दिनांकित 23-06-2011 अपंजीकृत तथा पर्याप्त रूप से मुद्रांकित निष्पादित नहीं होने से साक्ष्य में ग्राहय नहीं है, जवाब दावे में जोडे जाने की अनुमति प्रदान की जावे। अप्रार्थी/वादी द्वारा इसका विरोध किया गया। उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत जो आपत्ति जवाब दावे में जोडे जाने की प्रार्थना की है, उक्त आपत्ति दस्तावेज दिनांकित 23-06-2011 के अपंजीकृत तथा अमुद्रांकित होने से सम्बंधित है, उक्त आपत्ति विधिक आपत्ति है जिसे दौराने साक्ष्य भी उठाये जाने हेतु प्रतिवादीगण स्वतंत्र है। इस आशय का संशोधन प्रकरण के युक्तियुक्त निस्तारण हेतु जवाब दावे में किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत दिनांक 16-12-2014 को प्रस्तुत किया और तहरीर दिनांकित 13-06-1981 की पालना में विवादित सम्पत्ति में स्वयं का कब्जा होना दर्शाते हुये उक्त आशय का संशोधन वाद पत्र में किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से इसका विरोध किया गया और जाहिर किया कि तहरीर दिनांकित 13-06-1981 वाद प्रस्तुत किया गया तब से ही वादीया की जानकारी में थी किन्तु जानबुझकर उक्त तहरीर का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया। अतः प्राथना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीया द्वारा वाद पत्र के तहत यह जाहिर किया है कि विवादित सम्पत्ति पर उसका कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र के तहत तहरीर दिनांकित 13-06-1981 का जो विवरण दिया गया है, इस तथ्य की प्रारम्भ से ही वादीया को जानकारी थी किन्तु वाद प्रस्तुत करते समय इस तथ्य का उल्लेख वाद पत्र के तहत नहीं किया गया। प्रकरण में विचारण प्रारम्भ हो चुका है। वांछित संशोधन प्रकरण के युक्तियुक्त निस्तारण हेतु आवश्यक दृष्टिगत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादीया की ओर से प्रस्तुत	

	प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12–07–2024 को पेश हो, प्रकरण पुराना है, ऐसी स्थिति में वादी आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से अपनी समस्त साक्ष्य पेश करे। **(अमर वर्मा)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 ,** **अजमेर**	